

कार्यालय नगर पालिका परिषद, ओबेदुल्लागंज (म. प्र.)



756/2003

दिनांक 29/12/2003

भवन निर्माण संबन्धी अनुज्ञा-पत्र

(नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ के अन्तर्गत)

श्री ~~सैय्यद साजिद अली जां से सोहेल जली~~  
(~~वोहरा एज्युकेशन सोसायटी~~) वाई.क. ७ ओबेदुल्लागंज


निर्माण स्थल - हल नं० ८ खवरा नं० 220/2/1/2 (मि० रामदेव)  
में से 10,000 स्क्वैयर फीट क्षेत्रफल में निर्माण होगा।

आपके अवेदन पत्र दिनांक 16/7/03 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि (म.प्र.) नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ (३) अन्तर्गत अध्यक्ष/प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक ..... के अनुसार नीचे दर्शाये गये प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भवन के निर्माण अथवा पुनः निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।


१. राष्ट्रीय राजमार्ग से 110'0" की मध्य से से चोड़ कर निर्माण किया जावे।
२. स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें। स्वीकृति मानचित्र के विस्तृत मौके पर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
३. शौचालय सेप्टिक टैंक पद्धति का ही निर्माण करें। सादा शौचालय जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निर्माण न किया जावे।
४. मकान का निर्माण समीपस्थ मकानों की निर्धारित पंक्ति से ही करें। पंक्ति से बाहर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन न निकालें।
५. सड़क तथा नाली पर चबूतरा, पट्टिये तथा अन्य किसी प्रकार का प्रोजेक्शन निर्माण न करें।
६. मकान की मौरियों का पानी पाईप द्वारा नीचे उतार कर नगर पालिका नाली में मिलावें।
७. सड़क तथा नाली पर मटेरियल एकत्रित न करें। अन्यथा नगर पालिका द्वारा हटवा दिया जावेगा।
८. मकान में स्वच्छता एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखी जावे।
९. मकान में ज्वलनशील अथवा आग पकड़ने वाले मटेरियल का निर्माण में उपयोग न करें।
१०. यह स्वीकृति एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर पुनः स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
११. नवनिर्मित मकान का उपयोग निवास या अन्य कार्य हेतु नगर पालिका से दखल संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपयोग करें।
१२. म.प्र. भूमि विभाजन नियम में शैक्षणिक संस्थाओं के लिये 'समस्त प्रावधानों' का पालन किया जावे। यह अनुज्ञा अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों का रक्षण करते हुए प्रदान की जाती है।
१३. वर्क ऑफिस के भूमिगत संरक्षण का प्रावधान किया जावे।

संलग्न  
स्वीकृत मानचित्र एक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद ओबेदुल्लागंज म. प्र.




GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN



KHASTA PLAN



FRONT ELEVATION



SECTION A-A

PROPOSED DESIGN OF BALEEN GANDHI COLLEGE FOR 'CHOURAN EDUCATION SOCIETY' LOCAL ON KHASTA NO. 220/271/2/3/1 AT ABDULLAHGANJ, HOSHANGABAD ROAD, DIST. RAISBY

SCHEDULE OF AREAS

TOTAL FOOT AREA	2063.50 SQM
FLOOR TO FLOOR TOTAL FUP	4127.000

FLOOR AREA	4127.000
TOTAL BUILDING AREA	8254.000
OPEN AREA	1235.33 SQM
ROAD AREA	1235.33 SQM
GROUND COVERAGE	1235.33 SQM
F.A.P. ACHIEVED	1235.33 SQM

SCHEDULE OF OPENINGS

TYPE	SIZES IN MM
D	097X2.14
D1	10.8MX2.147
D2	1.2MX2.147
D3	1.2MX2.01
V	0.6MX0.6M
W1	1.2MX1.5M
W2	1.6MX1.5M

DATE: 10/10/2011

SCALE: 1/50

PROJECT NO: 11/11/11

ARCHITECT: M.A. TRAVI & ASSOCIATES

212, ZONE 1, MIDC, RAISBY

ARCHITECT: M.A. TRAVI & ASSOCIATES

212, ZONE 1, MIDC, RAISBY

ARCHITECT: M.A. TRAVI & ASSOCIATES

212, ZONE 1, MIDC, RAISBY



## कार्यालय नगर पंचायत औबेदुल्लागंज (म.प्र.)

दिनांक 30/9/08

### भवन निर्माण संबंधी अनुज्ञा-पत्र

(नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ के अन्तर्गत)

श्री चौधरी फज्जुल्लाह सोशाली, राजीव गांधी कालोनी  
वाई ब्लॉक-७ उदरिया कौठा

आपके आवेदन पत्र दिनांक ..... के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि (म.प्र.) नगर पालिका अधिनियम १९६१ की धारा १८७ (३) अन्तर्गत अध्यक्ष/प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक ..... के अनुसार नीचे दर्शाये गये प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार भवन के निर्माण अथवा पुनः निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

१. वरसाती पानी के भूमिगत जल संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) का प्रावधान रखकर निर्माण किया जावे।
२. स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें। स्वीकृति मानचित्र के विरुद्ध मौके पर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा।
३. शौचालय सेप्टिक टैंक पद्धति का ही निर्माण करें। सादा शौचालय जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। निर्माण न किया जावे।
४. मकान का निर्माण समीपस्थ मकानों की निर्धारित पंक्ति से ही करें। पंक्ति से वाहर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन न निकालें।
५. सड़क तथा नाली पर चबूतरा, पट्टिये तथा अन्य किसी प्रकार का प्रोजेक्शन निर्माण न करें।
६. मकान की मौरियों का पानी पाईप द्वारा नीचे उतार कर नगर पालिका नाली में मिलावें।
७. सड़क तथा नाली पर मटेरियल एकत्रित न करें। अन्यथा नगर पालिका द्वारा हटवा दिया जावेगा।
८. मकान में स्वच्छता एवं प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखी जावे।
९. मकान में ज्वलनशील अथवा आग पकड़ने वाले मटेरियल का निर्माण में उपयोग न करें।
१०. यह स्वीकृति एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर पुनः स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
११. नवनिर्मित मकान का उपयोग निवास या अन्य कार्य हेतु नगर पालिका से दखल संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही उपयोग करें।
१२. कम पानी वाले फ्लाशिंग सिस्टम का प्रावधान रख निर्माण किया जावे।
१३. राष्ट्रीय राजमार्ग से नजदीकी दूरी रखकर कार्य करें।

यह अनुज्ञा अन्य व्यक्तियों के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों का रक्षण करते हुए प्रदान की जाती है।

संलग्न  
स्वीकृत मानचित्र

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पंचायत औबेदुल्लागंज (म.प्र.)

1/2/2-2

11211

14- आग/जगह को स्वामित्व संबंधी मकदमा  
बाद-विवाद होता है तो आ-उखा रणत,  
ही निरस्त माना जावेगी ।

15- मकदमा रोधी लड़नीकी परनिर्माण  
कार्य किया जावे ।


16- निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निष्काय से  
लड़नीकी आधिकारी को निरीक्षण के  
उपरांत ही निवास हेतु उपयोग किया

जावे । 3 मूल लीटिंग मकदमा के आधार पर  
निष्काय के लिये निर्माण की मकदमा  
17 अथ II अथ 2 लिये निर्माण की मकदमा  
प्रदान करने की मकदमा की जायेगी ।


3 पुंज नगर पालिका अधिकारी  
बस पंचायत - अवेदुल्लाह  
जिला रायचेन (म.प्र.)



FRONT ELEVATION



SECTION AT A-A



SITE PLAN

KHAC REALLOCATION PLAN (IN T.E.)

PROPOSED DESIGN OF RAJEEV GANESH COLLEGE FOR "ADHAR" EDUCATION SOCIETY BHOPAL ON KHASRA NO. 120/1 2/1/1 AT OREOLI, LAGANI HOSHANGABAD ROAD DIST. BAREILLY

STATEMENT OF AREAS

PLOT AREA	21613.95
GROUND FLOOR BUILT UP AREA	1854.80M
FIRST FLOOR BUILT UP AREA	1516.80M
SECOND FLOOR BUILT UP AREA	1516.80M
THIRD FLOOR BUILT UP AREA	1516.80M
TOTAL BUILT UP AREA	4977.60M

SCHEDULE OF OPENINGS

D0	2.40X2.10	DOOR
D1	1.80X2.10M	DOOR
D2	0.80X2.10M	DOOR
E2	0.78X0.2.10M	DOOR
W1	1.20M X 1.20M	WINDOW
V	0.50X0.45M	VENTILATOR

NOTE - ALL DIMENSIONS ARE IN METER

DRAWN BY: NORTH

CHECKED BY: DATE:


SCALE: SHEET NO. 1:100

OWNER


ARCHITECT/CONSULTANT

*Signature*  
 RAJESH KUMAR TRIPATHI  
 ARCHITECT/CONSULTANT  
 111, BANGALORE ROAD, BAREILLY  
 U.P. INDIA


FOR DESIGN APPROVAL ONLY  
 Director




GROUND FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



THIRD FLOOR PLAN

*Handwritten notes:*  
 1. 100m wide corridor  
 2. 100m wide corridor  
 3. 100m wide corridor  
 4. 100m wide corridor  
 5. 100m wide corridor  
 6. 100m wide corridor  
 7. 100m wide corridor  
 8. 100m wide corridor  
 9. 100m wide corridor  
 10. 100m wide corridor